महत्वपूर्ण
संख्या– 207/एक–11–2020.

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊःदिनांक 30 मार्च, 2020

विषयः– **नोवल कोरोना वायरस के कारण लॉक डाऊन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल स्थापित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या 202/एक–11–2020, दिनांक 27.03.2020 तथा शा0पत्र संख्या 205/एक–11–2020–4(जी)/2015 दिनांक 29.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 27.03.2020 में कोविड–19 वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत श्रमिक/मजदूर व कामगारों की यात्रा से संक्रमण फैलने की सम्भावना की स्थिति से बचने के लिए इन व्यक्तियों को लॉक डाऊन की अवधि के दौरान यथास्थान पर ही किसी उपयुक्त भवन/स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्टल, धर्मशाला इत्यादि को चिन्हित कर उसे अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल में परिवर्तित कर इन व्यक्तियों को उनमें रखने तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ शौचालय तथा प्रसाधन, परिसर की समुचित साफ–सफाई व रखे गये व्यक्तियों में Social distancing बनाये रखने एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन के उपरोक्त पत्रों दिनांक 27.03.2020 एवं 29.03.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थापित किये गये अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल में जिन व्यक्तियों को रखा गया है उनके संबंध में **यह सुनिश्चित किया जाये कि वह 14 दिन तक वहीं पर रूकें** तथा उनका निरन्तर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये और यदि कोरोना के लक्षण पाये जायें तो उन्हें इलाज हेतु मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्व से चिन्हित अस्पतालों में भर्ती कराया जाये।

अस्थायी स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल में जिन लोगों को रखा गया है उनके संबंध में यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि 14 दिन से पूर्व स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल से बाहर न जाने दिया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो व्यक्ति किसी तरीके से अपने मूल निवास स्थान पहुँच चुके हैं, उनके संबंध में ग्राम प्रधान/पंचायत

–2–

सचिव के माध्यम से सूचना प्राप्त कर उन्हें उनके घर में ही 14 दिन (होम क्वारंटाइन) रखा जाये। यदि उनके घर में क्वारंटाइन के लिए पर्याप्त सुविधा/कमरे उपलब्ध नहीं है तो ऐसे लोगों को ग्राम सभा में स्थित प्राइमरी स्कूल, बारातघर आदि में 14 दिन के लिए अस्थायी रूप से रखकर निरंतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये और कोरोना के लक्षण पाये जाने पर उन्हें मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्व से चिन्हित अस्पतालों में इलाज हेतु भर्ती कराया जाये। वाहर से आये श्रमिक/मजदूर/कामगार को 14 दिन अलग रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें यह समझाया जाये कि यह व्यवस्था उनके तथा उनके परिवार के ~~लिए~~ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अन्यथा कोरोना बीमारी को नियंत्रित करना कठिन हो जायेगा। श्रमिक/मजदूर/ कामगार को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों/चिकित्सकों को निर्देशित कर दें। आकस्मिक चिकित्सीय स्थिति के लिए पुलिस एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीया

30/3/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

पत्र संख्या– 207 (1)/एक–11–2020. तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव(गृह), उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/पशुपालन एवं दुग्ध विकास/पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
9– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।